

प्रति निर्णय दिनांक 18-3-20
स्वयं प्रार्थना पत्र सं. R.M. 4/2020
गमनराम बनाम राजस्थान सरकार
न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर जालौर

— २५५ —

18-3-20 प्रार्थी के वकील उपास्थित / अप्रार्थी
की ओर से सरकारी वकील उपास्थित /
इस प्रकरण के संबंधित मूल अपील
में निर्णय हो चुका है। अतः अब इस
स्वयं प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य
नहीं होने से यह स्वयं प्रार्थना पत्र
स्वारेज किया जाता है। पत्रावली
क्रमिक श्रुति होकर नम्बर से कम हो।
निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। यह